



प्रेस नोट 01- दिनांक 02.08.2024

साइबर क्राइम थाना, जनपद उन्नाव ।

## फ्रॉड कर निकाली गई 97846/- रु० की धनराशि पीड़ित के खाते में कराई गई रिफण्ड

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरी एवं क्षेत्राधिकारी महोदया नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा ओटीपी प्राप्त कर पीड़ित के खाते से निकाले गये कुल 97846/- रुपये आवेदक के खाते में वापस कराये गये ।

**संक्षिप्त विवरण-** दिनांक 04.07.2024 को साइबर क्राइम पुलिस थाना उन्नाव में एक प्रार्थना पत्र आवेदक श्री नन्द किशोर गुप्ता पुत्र स्व० सालीग राम गुप्ता निवासी-म.नं.-95 श्रीनगर, शुक्लागंज, कटरी पीपर खेड़ा थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाते से अनधिकृत रूप से ओ.टी.पी. प्राप्त करके मैक्स लाइफ पर लोन के 97846/- रुपये अदा किये गये थे । जिस पर साइबर क्राइम पुलिस थाना टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक श्री नन्द किशोर गुप्ता उपरोक्त के खाते से फ्राड तरीके से निकाली गयी 97846/- रुपये की सम्पूर्ण धनराशि वापस करायी गयी ।

### **कार्यवाही करने वाली टीम -**

- 1.प्र०नि० श्रीमती रेखा सिंह, साइबर क्राइम पुलिस लाइन थाना ।
- 2.उ०नि० श्री अयोध्या प्रसाद, साइबर क्राइम पुलिस ।
- 3.उ०न० श्री कमल किशोर दुबे, साइबर क्राइम पुलिस ।
- 4.उ०नि० श्री सुभाष चन्द्र, साइबर क्राइम पुलिस थाना, ।
- 5.मु०आ० तरुण कुमार सिंह, साइबर क्राइम पुलिस थाना ।
- 5.आरक्षी शमसुद्दीन, साइबर क्राइम पुलिस थाना, उन्नाव ।
- 6.आरक्षी मोनू यादव, साइबर क्राइम पुलिस थाना, उन्नाव ।
- 7.म०आ० कुंती अग्रवाल, साइबर क्राइम पुलिस थाना, उन्नाव ।
- 8.म०आ० श्रुति मिश्रा, साइबर क्राइम पुलिस थाना, उन्नाव ।





प्रेस नोट 02- दिनांक 02.08.2024

साइबर क्राइम थाना, जनपद उन्नाव ।

## फ्रॉड कर निकाली गई 13000/- ₹ की धनराशि पीड़ित के खाते में कराई गई रिफण्ड

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरी एवं क्षेत्राधिकारी महोदया नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा रिमोट एप्प के माध्यम से ओटीपी प्राप्त कर पीड़ित के खाते से निकाले गये कुल 13000/- रुपये आवेदक के खाते में वापस कराये गये ।

**संक्षिप्त विवरण-** दिनांक 04.07.2024 को साइबर क्राइम पुलिस थाना उन्नाव में एक प्रार्थना पत्र आवेदिका श्रीमती अनुष्का पत्नी रोहित कुमार गुप्ता निवासिनी-तौरा थाना पुरवा जनपद उन्नाव के पंजाब नेशनल बैंक के खाते से अनधिकृत रूप से रिमोट एप्प इंस्टाल कराकर यू.पी.आई. पासकोड डलवाकर तीन बार में 5000/-, 5000/- व 3000/- (कुल 13000/-) रुपये का फ्राड कर लिया गया था । जिस पर साइबर क्राइम पुलिस थाना टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदिका श्रीमती अनुष्का उपरोक्त के खाते से फ्राड तरीके से निकाली गयी 13000/- रुपये की सम्पूर्ण धनराशि वापस करायी गयी ।

### कार्यवाही करने वाली टीम -

1. प्र०नि० श्रीमती रेखा सिंह, साइबर क्राइम पुलिस थाना, उन्नाव ।
2. उ०नि० श्री अयोध्या प्रसाद, साइबर क्राइम पुलिस थाना, उन्नाव ।
3. उ०न० श्री कमल किशोर दुबे, साइबर क्राइम पुलिस थाना, उन्नाव ।
4. उ०नि० श्री सुभाष चन्द्र, साइबर क्राइम पुलिस थाना, उन्नाव ।
5. मु०आ० तरुण कुमार सिंह, साइबर क्राइम पुलिस थाना, उन्नाव ।
5. आरक्षी शमसुद्दीन, साइबर क्राइम पुलिस थाना, उन्नाव ।
6. आरक्षी मोनू यादव, साइबर क्राइम पुलिस थाना, उन्नाव ।
7. म०आ० कुंती अग्रवाल, साइबर क्राइम पुलिस थाना, उन्नाव ।
8. म०आ० श्रुति मिश्रा, साइबर क्राइम पुलिस थाना, उन्नाव ।





प्रेस नोट 03- दिनांक 02.08.2024

थाना सफीपुर ,जनपद उन्नाव ।

## गैर इशदतन हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरी एवं क्षेत्राधिकारी महोदया सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा गैर इशदतन हत्या के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

**संक्षिप्त विवरण-** दिनांक 29.07.2024 को थाना सफीपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम नयाखेड़ा में धान लगाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी। जिसमें पप्पू पुत्र सुंदर उम्र करीब 45 वर्ष घायल हो गये थे। जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। जिसके संदर्भ में दिनांक 30.07.2024 को थाना सफीपुर पर शोभा पत्नी पप्पू द्वारा ग्राम रामनगर निवासी राजकुमार उर्फ बौआ पुत्र गोकुल व उसके दो पुत्र शैलेन्द्र यादव व धीरेन्द्र यादव पर मारपीट के आरोप लगाये हुए तहरीर दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 204/24 धारा 126(2)/115(2),351(3),352 बीएनएस व 3(2)V(a) एससी/एसटी एक्ट बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। दिनांक 30.07.2024 पप्पू उपरोक्त की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 105 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई थी। आज दिनांक 02.08.2024 को उ0नि0 कल्लूराम यादव मय हमराह फोर्स द्वारा मुकदमा उफरोक्त में वांछित अभियुक्त राजकुमार यादव उर्फ बउवा पुत्र गोकुल प्रसाद निवासी दाराबनगर मजरा सर्लीद थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 58 वर्ष को घटना में प्रयुक्त एक अदद बाँस के साथ लिलौरी नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया ।

### नाम पता अभियुक्त:-

राजकुमार यादव उर्फ बउवा पुत्र गोकुल प्रसाद निवासी दाराबनगर मजरा सर्लीद थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 58 वर्ष

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. उ0नि0 कल्लूराम यादव
02. का0 लवकुश यादव
03. का0 समरबहादुर
04. का0 अरुण कुमार





प्रेस नोट 04- दिनांक 02.08.2024

जनपद उन्नाव ।

## चार वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मौरावा व थाना हसनगंज पुलिस द्वारा चार वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

### थाना मौरावां-

आज दिनांक 02.08.2024 को उ०नि० श्री अशोक कुमार दूबे मय हमराह का० पवन कुमार द्वारा मु०अ०सं० 135/2024 में माननीय न्यायालय न्यायिक सि०जज (जू०डि०) फास्ट ट्रैक कोर्ट उन्नाव द्वारा जारी NBW से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्तगण- 1. बाबादीन पुत्र राम गुलाम 2. राम किशुन पुत्र राम गुलाम 3. पूरन पुत्र देवी निवासीगण ग्राम उधौगंज मजरा लउवा सिंहन खेडा थाना मौरावां जनपद उन्नाव को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

### थाना हसनगंज-

आज दिनांक 02.08.2024 को उ०नि० श्री अनिल शर्मा मय हमराह का० तेजवीर द्वारा मु०अ०सं० 513/08 धारा 3/25 ए एक्ट में माननीय न्यायालय A.C.J.M.- 2 उन्नाव द्वारा जारी NBW से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त विश्राम पासी पुत्र फकीरे निवासी पिछवाड़ा थाना हसनगंज जनपद उन्नाव को उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



प्रेस नोट 05- दिनांक 02.08.2024

थाना कोतवाली सदर ,जनपद उन्नाव ।

## युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरी एवं क्षेत्राधिकारी महोदया नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

**संक्षिप्त विवरण-** दिनांक 27.07.2024 को वादिनी की नाबालिक पुत्री को नासिर उर्फ मन्ना पुत्र साकिर निवासी गढी मजरा थाना ,थाना माखी उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0स0 504/2024 धारा 137(2)/87 BNS पंजीकृत किया गया । अभियोग से सम्बन्धित नाबालिक अपहृता को सकुशल बरामद करते हुए नामित अभियुक्त नासिर उपरोक्त को आज दिनांक 02.08.2024 को पीडब्ल्यूडी गेस्टहाउस के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार उन्नाव भेजा जा रहा है ।

### नाम पता अभियुक्त:-

नासिर उर्फ मन्ना पुत्र साकिर निवासी गढी मजरा थाना ,थाना माखी उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 01.उ0नि0 अरुण कुमार सिंह
- 02.का0 अक्षय गोस्वामी

